न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी–मनसुख राम डामोर आर. ए. एस.)

प्रकरण सख्या– 14 / 2020 प्रा.पत्र
दायर दिनांक– 02 / 03 / 2020
निर्णय दिनांक– 12 / 01 / 2021

अनवान

1. डालु पिता गंगाराम जाति जाट निवासी लड़पचा तहसील रेलमगरा
2. मादुलाल पिता गंगाराम जाति जाट निवासी लड़पचा तहसील रेलमगरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता जोधा जाति जाट निवासी लड़पचा तहसील रेलमगरा
2. बद्रीलाल पिता जोधा जाति जाट निवासी लड़पचा तहसील रेलमगरा
3. मु.वरदी बेवा जोधा जाति जाट निवासी लड़पचा तहसील रेलमगरा
4. लेहरू पिता रूपा जाति जाट निवासी लड़पचा तहसील रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2010

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2010 के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम लड़पचा तहसील रेलमगरा, में प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 640 रकबा 01–11 बीघा व आराजी संख्या 658 रकबा 00–11 बीघा व आराजी संख्या 639 किस्म आ.चा. स्थित है प्रमाण में जमाबंदी की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी संख्या 640, 658 व 639 के उत्तर दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 662 स्थित होकर उक्त आराजी के उत्तर दिशा के सटमा आम रास्ता आराजी संख्या 664 स्थित हैं। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 640, 658 व 639 में आने जाने, हल बेलगाड़ी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने एवं काश्त करने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 662 के मध्य स्थित रास्ते से होकर अपनी स्वंय की आराजी संख्या 658 की पश्चिमी पाली के सहारे सहारे होते हुऐ आराजी संख्या 640 में प्रवेश कर रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर हल बेल, बेलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि काश्त करने हेतु साधन सुविधा वर्षों से लाते जे जाते हें जो अपने पूर्वजों के समय से ही उक्त कदीमि रास्ते को उपयोग उपभोग

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

निरन्तर निर्विघ्न रूप से साधिकारपूर्वक करता चला आ रहा हैं। आराजी संख्या 662 वर्तमान में विपक्षीगण के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने एवं कब्जे में होने से विपक्षीगण जबरन अपने भूजबल के आधार पर प्रार्थीगण के उक्त कदीमि रास्ते का उपयोग उपभोग में व्यवधान बाधा रूकावट कारित करते हैं तथा प्रार्थीगण को जबरन अपनी आराजी संख्या 640, 658 व 639 के उपयोग उपभोग में कृषि कार्य करने में रास्ते में आने जाने हेतु रूकावट बाधा कारित करते हैं तथा प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी संख्या 640, 658 व 639 में आने जाने हेतु उक्त कदीमि रास्तें के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं हैं। विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते को जबरन बंद कर दिया हैं या हांक कर फसल इत्यादि काश्त कर लेते हैं इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में आये दिन भारी व्यवधान कारित करते तथा आज भी वर्तमान में भी प्रार्थीगण का रास्ता बंद कर दिया हैं जिससे प्रार्थीगण को अपने खेतों की हंकाई बुवाई एवं सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। तथा विपक्षीगण प्रार्थीगण को कहते हैं कि रेकॉर्ड में कोई रास्ता नहीं हैं इसलिये हम तेरे को हमारे खेत में होकर नहीं आने जाने देंगे। जबकि प्रार्थीगण के खेत में जाने का यही एक मात्र नजदीकी रास्ता हैं। प्रार्थीगण को अपने आराजी संख्या 640, 658 व 639 में आने जाने हल बैल, बैलगाड़ी ट्रैक्टर लाने ले जाने हेतु भूमि के काश्त करने इत्यादि हेतु आम रास्ता से होकर विपक्षी की आराजी संख्या 662 के बीच में प्रवेश उक्त आराजी के बिचों बीच 10 फिट चौड़ा एवं सम्पूर्ण लंबाई के रास्ते की सख्त आवश्यकता हैं। जो आराजी संख्या 640 की उत्तरी सीमा तक हैं। जिस निमित प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आवश्यकता अत्यन्त हैं तथा उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण अपने खेत के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहे हैं न्यायालय द्वारा रास्ते के एवज में 10 फिट चौड़ाई व सम्पूर्ण लम्बाई के रास्ते का जो भी प्रतिकर न्यायालय आप द्वारा विहित किया जावेगा उसको प्रार्थीगण तुरन्त अदा करने को तैयार एवं तत्पर हैं उक्त कदीमि रास्ते को प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 03 में वर्णित किया गया हैं उसे राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में रास्ता के रूप में इन्द्राज कराया जाना न्याय हित में नितांत आवश्यक हैं जिस निमित प्रार्थी की आरे से यह प्रार्थना पत्र पेश हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण को लगातार रास्ते में बाधा कारित कर रहे हैं तथा आज से एक माह पूर्व प्रार्थीगण उक्त रास्ते से अपनी आराजी में ट्रेक्टर लेकर हांकने के लिये जाने लगा तो विपक्षीगण ने उक्त रास्ते को बंद कर देने से प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 640, 658 व 639 में हल, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिये आराजी संख्या 662 के बीचों बीच आम रास्ता आराजी संख्या 664 से प्रवेश कर उक्त आराजी संख्या 662 के बीचों बीच से 10 फिट चौडा व सम्पूर्ण लंबाई में आराजी संख्या 658 की पश्चिमी पाली तक विपक्षीगण से दिलाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। उक्त रास्ते की एवज में न्यायालय आप द्वारा जो भी प्रतिकर नियमानुसार निश्चित किया जाता हैं वो

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

प्रार्थीगण अदा करने को तैयार हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर अदा करने के पश्चात उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज कराया जावें।

इस पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षीगण को जरिये समन्न तलब किया गया विपक्षीगण की ओर बावजुद सुचना तामिल अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश किये गये तहसीलदार रेलमगरा से मौका रिपोर्ट ली गई प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए मांगा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं उपल्ब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251–ए का स्वीकार किया जाकर ग्राम लड़पचा के प्रार्थी की आराजी सख्या 640, 658 व 639 में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी सख्या 662 के बीच 03 मीटर चौडा एवं सम्पुर्ण लम्बाई 60 मीटर भुमि (तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते) को बिलानाम रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है । प्रार्थी से उक्त रकबे की वर्तमान प्रचलित पंजीयन दर अनुसार दो गुना राशि वसुल कर विपक्षीगण को उनके हिस्से अनुसार नियमानुसार राशि भुगतान की कार्यवाही की जावे। पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा